नागरिकता

भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को लागू किया गया। उस दिन भारत में जो भी लोग रह रहे थे, वे सभी स्वतः भारत के नागरिक हो गए। भारत के संविधन मे भारत के नागरिको लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के भाग 2 मे भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस भाग में अनुच्छेद 5-11, नागरिकता से संबंधित है।

अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता--इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—

1: जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो, या

2: जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा हो , या

3: जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।

अनुच्छेद 6 : पाकिस्तान से आनेवाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है.

19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आकर रह रहे लोग भारत के नागरिक होंगे. 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके लिए कम से कम छह महीने भारत में रहना जरूरी है.

अनुच्छेद 7: पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और थोड़े समय बाद वापस आ गया तो उसे 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों के लिए बने नियम मानने होंगे. मतलब उसे भारत में कम से कम छह महीने तक रहकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

अनुच्छेद 8: भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

विदेश में पैदा हुए किसी भी बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भारत का नागरिक हो. उसका विदेश में मौजूद भारतीय दूतावास या उच्चायोगों में भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.'

अनुच्छेद 9: विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना

अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाएगी.'

अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 के बीच के नियमों का पालन कर रहे लोग भारत के नागरिक हैं. इसके अलावा संसद के पास अधिकार होगा कि वह नागरिकता संबंधी जो भी नियम बनाएगी उनके आधार पर नागरिकता दी जा सकेगी.'

अनुच्छेद11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

इसके अनुसार किसी को भी नागरिकता देना या उसकी नागरिकता खत्म करने के बारे में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास सुरक्षित रहेगा.

ONE PLATFORM FOR ALL EXAMS

संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में नागरिकता प्राप्ति हेतु प्रावधान इस प्रकार है:-

1: जन्म द्वारा नागरिकता

2: वंशापरंपरा या रक्त सम्बन्ध आधारित नागरिकता

3: पंजीकरण द्वारा नागरिकता

4: देशीयकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति

5: अर्जित भूभाग के विलय द्वारा भारतीय नागरिकता

भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति

नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार से भारतीय नागरिकता की समाप्ती हो सकता है-

1: नागरिकता परित्याग

2: नागरिकता पर्यवसान

3: नागरिकता से वंचित किया जाना